न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 71/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/177

प्रार्थीगणः—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
1. दिनेश कुमार पुत्र चनणाराम जाति जीनगर, निवासी धाकडी, तहसील सोजत जिला पाली		1. सीतादेवी पत्नी दिनेश कुमार जाति जीनगर निवासी धाकडी तहसील सोज़त, जिला पाली राजस्थान
2. सुनील कुमार पुत्र चनणाराम जाति जीनगर निवासी धाकडी तहसील सोजत, जिला पाली		2. ग्राम पंचायत धाकडी जरिये सरपंच, पंचायत समिति सोजत, तहसील सोजत, जिला पाली राजस्थान।
3. महेन्द्र कुमार पुत्र चनणाराम, जाति जीनगर, निवासी धाकडी, तहसील सोजत, जिला पाली		3. ग्राम सेवक, पदेन सचिव, ग्राम पंचायत धाकडी, पंचायत समिति सोजत, तहसील सोजत जिला पाली, राजस्थान।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र दवे।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र वैष्णव।

—: निर्णय :—

दिनांक : 25/08/2025

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत धाकडी द्वारा मिसल संख्या 15/2013—14, दिनांक 20.12.2013, प्रस्ताव संख्या 06 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 25.08.2014 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थी ने लिखित बहस पेश होने से अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता का पट्टासुदा, कब्जासुदा भूखण्ड ग्राम धाकडी में आया हुआ है, जिसके पडौस पूर्व दिशा में नोहरा का रास्ता, पश्चिम दिशा में चौक, उत्तर दिशा में पुखा व घेवर जाति जीनगर का मकान, दक्षिण दिशा में धाकडी से सोजत जाने वाला आम रास्ता व सडक स्थित है, जिसका ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 06 दिनांक 14.05.1974 के द्वारा चनणाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 1 दिनांक 04.12.1977 को जारी किया गया। जिसके पश्चात प्रार्थीगण के पट्टासुदा भूखण्ड के दक्षिण दिशा में धाकडी से सोजत सडक का निर्माण किया गया, जिस पर प्रार्थीगण के पट्टासुदा भूमि को अवाप्त किये जाने के पश्चात् शेष बच्चे भूखण्ड का संशोधित पट्टा प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में दिनांक 10.02.1982 को जारी किया गया। प्रार्थीगण के भूखण्ड के उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 के ससूर पुखाराम व घेवरराम का भूखण्ड आया हुआ है, जिसका अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पुश्तैनी कब्जा सुदा रहवास बताते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया, जिसमें जानबूझकर गलत पडौस वर्णित कर दक्षिण दिशा में सिरे दरवाजा व आम रास्ता दर्शित किया जबकि वास्तविकता में वादग्रस्त भूखण्ड के दक्षिण दिशा में प्रार्थीगण के पिता का पट्टासुदा भूखण्ड आया हुआ है। मौके पर हमारी दुकाने बनी हुई है और निर्माण स्वीकृति भी ग्राम पंचायत से जारी हो रखी है। माननीय सिविल न्यायालय में जैर निगरानी आराजी पर निर्माण कार्य के सम्बन्ध में प्रकरण विचाराधीन है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टे की मिसल एक ही दिन में तैयार कर जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसकी समस्त आदेशिका, भूमि निरीक्षण रिपोर्ट, नोटिस आदि की दिनांक में कांट–छांट की गई है। ग्राम पंचायत बिना प्रक्रिया अपनाये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी लिखित बहस में निवेदन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा उनके भूखण्ड के दक्षिणी दिशा की तरफ आम सडक जो सोजतसिटी से शिवपुरा जाने वाली एम.डी.आर. सडक है, उस सडक सीमा की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कार्य आरम्भ करने पर अप्रार्थी द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में वाद पेश करने पर झुठे तथ्यों के आधार पर यह निगरानी पेश की है। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी हो रखी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत चनणाराम का पट्टा फर्जी व कूटरचित है। साथ ही जैर निगरानी पट्टे के पडौस में भी चनणाराम का कोई नाम अंकित नहीं है यदि वास्तविकता में ग्राम पंचायत से पट्टा जारी हुआ होता तो निश्चित ही पडौस में चनणाराम का नाम दर्ज होता। प्रार्थी जिस पट्टासुदा भूमि को अपना बता रहे है व सडक सीमा की भूमि है न कि प्रार्थी की। जैर निगरानी भूखण्ड पर अप्रार्थी का कब्जा व रहवास है। ग्राम पंचायत ने विधिवत् रूप से पट्टा जारी किया है तथा उक्त मिसल की पत्रावली में किसी प्रकार की कोई त्रुटि, कांटछांट व फर्जीवाडा किया हुआ नहीं है। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की पालना करते हुये विधिसम्मत तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इसलिये बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की श्रवणसुदा एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की लिखित बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम पंचायत धाकडी द्वारा मिसल संख्या 15/2013–14, दिनांक 20.12.2013, प्रस्ताव संख्या 06 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 25.08.2014 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टे की दक्षिण दिशा में रास्ता न होकर प्रार्थीगण के पिता का पट्टासुदा भूमि स्थित है, जिसकी ताईद में उन्होनें चनणाराम पुत्र मूलाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1 दिनांक 04.12.1977 की प्रति पेश की। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त कथन का विरोध करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा चनणाराम के पक्ष में ऐसा कोई पट्टा जारी ही नहीं हो रखा है। उक्त तथ्य की पुष्टि हेतु अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पट्टे की प्रति का अवलोकन करने पर पाते है कि उक्त पट्टे के पूर्व दिशा में नोहरा का रास्ता, पश्चिम दिशा में चौक, उत्तर दिशा में केरा जटिया का थाला जो पुखा–घेवर भोबी ने खरीदा एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता अंकित है जबकि जैर निगरानी पट्टे के उत्तर दिशा में दलाराम जटिया, दक्षिण दिशा में आम सडक, पूर्व दिशा में आम रास्ता एवं

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पश्चिम दिशा में मांगीलाल पुत्र टिका जीनगर, छगनलाल पुत्र राधाकिशन अंकित है। अब यदि जैर निगरानी पट्टे की दक्षिण में अंकित पडौस पर गौर करे तो आम रास्ता है और अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा चनणाराम के पक्ष में जारी पट्टे की उत्तर दिशा में पुखा–घेवर भोबी अंकित है, साथ ही अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने निगरानी मीमों में यह अंकित किया कि पुखाराम व घेवरराम, अप्रार्थी संख्या 1 के ससुर है परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे यह साबित हो सके कि पुखाराम व घेवरराम अप्रार्थी के ससुर हो। ऐसी स्थिति में उपलब्ध दस्तावेजों से यह प्रकट नहीं होता कि चनणाराम के पक्ष में जारी पट्टे के उत्तर दिशा में अप्रार्थी के भूखण्ड का अंकन हो। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थीगण का उक्त कथन प्रमाणित नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 167(1) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 167 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया तथा प्रार्थना–पत्र में आवेदन शुल्क 120/–रूपये जमा करने के कथन वर्णित है परन्तु यह किस रसीद संख्या के जरिये जमा करवाये गये यह कही अंकित नहीं है। साथ ही उक्त प्रार्थना पेश करने की दिनांक पूर्व में 5.4.12 अंकित थी, जिस पर कांट–छांट कर दिनांक 20.12.2013 अंकित की। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि सम्पूर्ण आदेशिका पूर्व से निर्धारित प्रारूप में लिखी हुई है और उसमें भी समस्त आदेशिकाओं की दिनांक में कांट–छांट की गयी। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत भूमि के नक्शे, भूमि निरीक्षण प्रपत्र, आपत्ति नोटिस एवं बयान की दिनांक में भी कांट–छांट की गयी। आदेशिका दिनांक 06.04.2013, जिसमें कांटछांट कर दिनांक 20.12.2013 अंकित की, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें सचिव को पत्रावली कायम कर नक्शा तैयार करने एवं तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हे नामित नहीं किया गया। आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण, नक्शा शुल्क, मौका निरीक्षण शुल्क जमा करवाये जाने थे, जो किस रसीद के जरिये जमा करवाये गये, यह कही अंकित नहीं है। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं हैं। हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान देखने मात्र से यह प्रतीत होते है कि पूर्व से लिखित बयानों में केवल खानापूर्ति करते हुये बयान लिये गये, साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव हैं। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है, उसके सहजदृश्य स्थान

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पर चस्पानगी के सम्बन्ध में केवल गवाहों के हस्ताक्षर है, उनकी वल्दियती अंकित नहीं है ऐसी स्थिति में उक्त नोटिस में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। साथ ही मिसल की आदेशिका के अनुसार जैर निगरानी पट्टा नियम 157(ख) के तहत जारी किया जाने के आदेश जारी किये गये परन्तु पट्टा नियम 167(1) के तहत जारी किया गया।

हस्तगत प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया, जिसमें उपरोक्त तथ्यों अनुसार निम्नांकित तथ्यात्मक अनियमितताएँ पायी गयी –

1. आवेदन पत्र की तिथि में परिवर्तन
    - मूल आवेदन दिनांक : 05.04.2012
    - बाद में काट–छांट कर : 20.12.2013
    - यह स्पष्ट रूप से अभिलेखों में छेड़छाड़ का प्रमाण हैं।
2. मिसल दर्ज करने की तिथि में परिवर्तन
    - मूल तिथि : 06.04.2013
    - परिवर्तित तिथि : 20.12.2013
    - जो यह दर्शाता है कि मिसल की समयबद्ध प्रक्रिया को कृत्रिम रूप से बाद की तिथि पर स्थानान्तरित किया गया।
3. ग्राम पंचायत में बैठक कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं
    - कोई भी प्रस्ताव, बिना ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदन के, अवैध माना जाएगा।
    - यदि बैठक रजिस्टर में प्रस्ताव अंकित नहीं है, तो पट्टा निर्गमन की वैधता ही संदिग्ध हो जाती है।

राजस्थान पंचायती राज नियमों के अनुसार आवेदन, मिसल, जांच, प्रस्ताव अनुमोदन व पट्टा वितरण यह सब एक पारदर्शी प्रक्रिया है। हस्तगत प्रकरण में आवेदन की तिथि और मिसल दर्ज करने की तिथि में फेरबदल, बिना वैधानिक कारण के की गई, जो कि रिकॉर्ड की वैधता पर गंभीर प्रश्न उठाता हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण में यह भी प्रकट होता है कि कृत्रिम रूप से पिछली कार्यवाही को पीछे की तिथियों में दर्शाने का प्रयास किया गया ताकि पहले से तैयार पट्टे को वैध ठहराया जा सके। इससे प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खडे होते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में प्रयुक्त आवेदन–पत्र और मिसल दर्ज करने की तिथि में जानबूझकर की गई कांट–छांट (tampering) यह प्रमाणित करती है कि पट्टा जारी करने की समस्त कार्यवाही पूर्व निर्धारित तिथि से प्रारम्भ होकर नियमुनसार की गई थी, लेकिन बाद में उस प्रक्रिया को अवैध रूप से वैध दिखाने हेतु रिकॉर्ड में दिनांक बदलकर 20.12.2013 कर दी गई, जिससे पट्टा निर्गमन की पूरी प्रक्रिया की वैधता समाप्त हो जाती है। तारीखों में की गई कांट–छांट यह प्रमाणित करती है कि पट्टा प्रक्रिया की पूरी श्रृंखला एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार अवैध रूप से संशोधित की गई है, जिससे यह पट्टा नियमों के विरूद्ध और निरस्त करने योग्य बनता है। यह एक गंभीर कृत्य है और इस आधार पर पट्टा स्वतः अमान्य हो जाता है। इसके

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अतिरिक्त यदि प्रस्ताव जिस बैठक कार्यवाही रजिस्टर में पारित हुआ, उसका रजिस्टर ही ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है, तो यह दर्शाता है कि प्रस्ताव कागजों में बाद में जोडा गया है, न कि विधिवत् बैठक में पारित किया गया। इन सभी तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह पट्टा अवैध (Illegal), दोषपूर्ण (Defective) और निरस्त करने योग्य (Liable to Cancellation) है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त AIR 1994 SC 1692 State of Punjab vs Dalbir Singh में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि प्रशासनिक निर्णय की वैधता उसके रिकॉर्ड, तारीखों और प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर निर्भर करती है। बाद में तिथियों में फेरबदल कर निर्णय को वैध बनाना जालसाजी माना जाएगा। इसी प्रकार माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त Vinod Kumar vs Govt. of NCT Delhi, 2006 में यह प्रतिपादित किया कि आवेदन की तारीख और उसका रिकॉर्ड (मिसल) में सही ढंग से दर्ज होना आवश्यक है। गलत तारीख अंकित करने से पूरे अनुबंध की वैधता प्रभावित होती है। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने रामकरण बनाम राजस्थान सरकार, 2010 में यह स्पष्ट किया कि सरकारी रिकॉर्ड में किसी भी तरह की तिथि छेडछाड या संशोधन, विशेषकर आवेदन व प्रस्ताव की तिथियों में, पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध और अवैध बनाता है। ऐसी स्थिति में जारी किया गया पट्टा वैध नहीं माना जा सकता। प्रकरण में आवेदन और मिसल की तिथियों में जानबूझकर की गई कांट–छांट, ग्राम पंचायत में बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अभिलेख का अभाव तथा सारी प्रक्रिया को एक उचित समयक्रम में दिखाने के लिए तारीखों को संशोधित करना, सब मिलकर इस पट्टे की वैधता को पूरी तरह समाप्त कर देता है। न्यायालय हाजा के मत अनुसार ऐसे पट्टे को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत धाकडी द्वारा मिसल संख्या 15/2013–14, दिनांक 20.12.2013, प्रस्ताव संख्या 06 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 25.08.2014 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, ग्राम पंचायत धाकडी को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 25/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली